



चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।


Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : शोध/ 3459
दिनांक : 25.07.2023

विज्ञप्ति

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय विद्वत् परिषद की बैठक दिनांक 12.06.2023 के मद संख्या-04 के प्रकरण 1 के निर्णयानुसार ऐसे शोधार्थी जो 01 जनवरी, 2020 अथवा इसके पश्चात (31 दिसम्बर, 2022 तक) अवधि पूर्ण होने के पश्चात भी अपना शोध ग्रन्थ जमा नहीं कर पाये थे, को यू०जी०सी० द्वारा कोविड -19 महामारी के दृष्टिगत दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 तक शोध ग्रन्थ जमा करने की अनुमति प्रदान की गयी थी।

विश्वविद्यालय विद्वत् परिषद की बैठक दिनांक 12.06.2023 के मद संख्या-04 में लिए गए निर्णयानुसार ऐसे शोधार्थी जो 31 दिसम्बर, 2022 तक अपना शोध ग्रन्थ नहीं जमा कर पाये हैं तथा शोध उपाधि समिति (RDC) की बैठक आहूत होने की तिथि से 05 वर्ष 06 माह (कोर्सवर्क मिलाकर 06 वर्ष) पूर्ण कर चुके हैं को 31 दिसम्बर, 2023 तक रू० 5,000/- अतिरिक्त शुल्क के साथ तथा 01 जनवरी, 2024 से 31 दिसम्बर, 2024 तक रू० 10,000/- विलम्ब शुल्क के साथ शोध ग्रन्थ जमा किये जाने की अनुमति प्रदान कर दी गयी है। 01 जनवरी, 2025 से शोध ग्रन्थ जमा करने के लिये यू०जी०सी०/विश्वविद्यालय के सामान्य नियम लागू होंगे


कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

01. वैयक्तिक सहायक कुलपति को मा० कुलपति जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
02. समस्त संकायाध्यक्ष, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।


कुलसचिव